भोजपुरी लोकसाहित्य का संकलन और संग्रह कार्य

भोजपुरी लोकसाहित्य के अध्ययन के लिए लोक भाषा का अध्ययन आवश्यक होता है। लोक भाषा के अन्तर्गत लोक प्रचलित सम्पूर्ण साहित्य का अंकन किया जाता है। अतः लोक भाषा को लोक साहित्य के अध्ययन का प्रवेश द्वार कहें, तो उचित होगा। लोक भाषा के अध्ययन के उपरान्त ही लोकसाहित्य का अध्ययन किया जाता है। जब तक हम क्षेत्र विशेष की भाषा से परिचित नहीं होंगे, उस क्षेत्र के लोकसाहित्य का अध्ययन करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि लोकसाहित्य के अध्ययन के पीछे लोक भाषा के अध्ययन की प्रेरणा निहित रहती है।

लोकसाहित्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। उसकी व्याप्ति असभ्य और सभ्य- दोनों समाज में होती है। अतः उसके अध्ययन और अनुसंधान का क्षेत्र

मात्र असभ्य समाज ही नहीं, बल्कि सभ्य समाज भी होता है। लोकसाहित्य के आधुनिक अध्येता तो यहाँ तक कह देते हैं कि नगरों में लोकसाहित्य का

अध्ययन-अनुसंधान अधिक आवश्यक है, क्योंकि वहाँ के परिवेश में लोकवार्ता की परम्परा में परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र होते रहते हैं। लोकसाहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, वह प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग में व्याप्त रहता है और प्रत्येक क्षेत्र से उसका संग्रह-संकलन किया जाना चाहिए।

लोक साहित्य के अनुसन्धान एवं संकलन-संग्रह का कार्य कई प्रकार से किया जाता है, जैसे-

1. शौकिया संग्रहकर्ताओं द्वारा।

2. शोधार्थियों द्वारा।

3. साहित्यिक संस्थाओं द्वारा।

4. विश्वविद्यालयों द्वारा।

इस प्रकार, लोकसाहित्य का संकलन एवं अनुसंधान कार्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक- दोनों स्तरों पर किया जाता है।

डॉ० सत्येन्द्र ने लोक साहित्य के संग्रह करने की विधियों का उल्लेख किया है, यथा-

1. पुस्तकों / पुस्तकों पर नोट करना।

2. स्वरालेखन द्वारा लिखना।

3. ध्वनि को रिकार्ड करना।

क. तरंग, ख. तार, ग. फीता तथा घ. ध्वनि फिल्म।

क्षेत्रीय अभ्यास-कार्य का लोकसाहित्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्वपूर्ण बातों को जान लेना परम आवश्यक है। इस सम्बन्ध में डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय, सत्येन्द्र, डॉ शंकर लाल यादव आदि विद्वानों ने लोकसाहित्य के संग्रह-कार्य की उँचाइयों की चर्चा विस्तार में की है। सभी लेखकों की संकलन-कर्ता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रख हम यहाँ कुछ कठिनाइयों की चर्चा करेंगे।

लोकसाहित्य के संग्रह की कठिनाइयाँ

1. शिक्षा के विकास के कारण गाँवों में लोकगीतों को गाने वाले गवैयों का अभाव होता जा रहा है। गीतों को गाने वाली कुछ जातियाँ हैं, जो अब भी अपने पुराने गीतों को गाती हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और प्रचार ने अब उन जातियों से भी लोकगीतों को गाने के अवसर छीन लिए हैं। जीवन के बदले भौतिकवादी दर्शन ने भी आदमी को इतना व्यस्त बना दिया है कि उसके पास अब समय की कमी होती जा रही है। दूसरे, इन गीतों को अपने कंठ में सँजोये रखने वाली वृद्धाएँ अब काल के गाल में जाने की बाट जोह रही हैं। ऐसी दशा में पढ़ी-लिखी नये युग की स्त्रियाँ अवसरों पर भी इन गीतों को गाने में संकोच करती हैं। वे अपने को छोटा समझती हैं। परिणामस्वरूप इस सामाजिक परिवर्तनों की आँधी हमारे लोकसाहित्य को उड़ा ले जाने के लिए कटिबद्ध है।ऐसे में, लोकसाहित्य का संकलन- कार्य अब काफी दुरूह हो गया है।

२. हमारे देश की लोकमर्मज्ञ गीतों को गाने वाली स्त्रियाँ दूसरे पुरुष के सामने गाना नहीं चाहतीं। पर्दे की प्रथा इस कार्य में और भी बाधा उपस्थित करती है। किसी स्त्री से गीत गाकर लिखवाने के लिए कहा जाय, तो वह लज्जा का अनुभव करती है। इन गीतों को अवसरानुसार गाये जाने पर लिखने की बात का सम्बन्ध है। कार्य तो होना चाहिए, लेकिन पर्दे की प्रथा होने के कारण इसमें बाधा पड़ती है। स्वाभाविक रूप से जब घर की स्त्रियाँ अपने आँगन में बैठकर संस्कारों के गीत गाती हैं, तो उसे घर से बाहर बैठकर लिख लिया जा सकता है। गाँवों में जाकर जिस घर में शादी के गीत गाये जा रहे हों, उनके यहाँ रात में रूक कर लिपिबद्ध किया जा सकता है। फिर भी; पर्दा-प्रथा के कारण सफलता मिलने में काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। आजकल पढ़ी-लिखी लड़कियाँ प्रथमतः तो लोकगीत याद नहीं करना चाहतीं और याद भी कर लेती हैं, तो उनसे गवाकर

लिपिबद्ध करना एक कठिन कार्य है। अब टेप रिकार्डर तथा मोबाइल हो जाने से इस कार्य में काफी सुविधा हो गई है।

३. गवैये जब गीत गाने लगते हैं, तो मस्ती की तरंग में कभी-कभी कोई-कोई पंक्ति भूल जाते हैं। लिखने वाला किसी प्रकार लिख भी लेता है, तो न लिखी गई पंक्ति समस्या पैदा कर देती है। गायक पुनः नहीं गा सकता, अतः छूटी पंक्ति छूट ही जाती है। यही कठिनाई स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले गीतों के साथ भी होती है।

४.गीत गाने वाले समय, ऋतु और अवसर पर ही गाते हैं। अतः अवसर की प्रतीक्षा करना भी एक साहसपूर्ण कार्य है। बिना मौसम और अवसर के गवैये गीत गाने के लिए तैयार नहीं होते। यदि तैयार भी हो गये, तो वे खुलासा गा नहीं पाते। धान के पौधे जब ताल में लगाये जाते हैं, तो उस समय पानी बरसता रहता

है और खेत जल से भरे रहते हैं। ऐसे में कोई संकलनकर्ता धान के खेत की मेड़ पर बैठकर गीत कैसे लिख सकता है? यह सोचने की बात है। इसी प्रकार, अनेक अवसरों पर संकलनकर्ता को कुतूहल का विषय भी बनना पड़ता है। झूला झूलती अबलाएँ खिलखिला कर हँसने लगती हैं, आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगती हैं। गीत गाना भी बन्द कर देती हैं। इन सब कठिनाइयों का उल्लेख संकलनकर्ताओं ने किया भी है।

५. गीत गाकर पेट-पूजा करने वाले गायकों को भय होता है कि जब उनके गीत लिपिबद्ध हो जायेंगे, तो उनकी रोजी-रोटी जाती रहेगी। वे गीतों को अपनी बपौती समझते हैं और किसी को गीत देना नहीं चाहते। उनकी इस संकुचित मनोवृत्ति का उल्लेख करते हुए डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि गोपीचंद तथा भरथरी की कथाओं को लिखना चाहा था, परन्तु उन्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त न हो सकी। इन भिक्षुक गायकों को यह कथा मालूम थी कि इन गीतों के लिपिबद्ध हो जाने से लोकसाहित्य की कितनी नितियाँ नष्ट हो जाने से बच जायेंगी।

इसी प्रकार, लोक-चिकित्सा से सम्बन्धित मंत्रपरक गीतों, खप्पर के गीतों, भूत-प्रेत आदि के सोइले, रामइन, गुरसठि, कीलनों के मंत्र गीतों को लिपिबद्ध करने में और भी अधिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं, क्योंकि यह गोपनीय विद्या है। इसे कोई बताना नहीं चाहता। भय रहता है कि बता देने से यह विद्या नष्ट हो जायेगी। अतः इनका लिपिबद्ध किया जाना बड़ा कठिन होता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि लोकसाहित्य को लिपिबद्ध करने में अनेक कठिनाइयाँ, जैसे- गवैयों का क्रमिक अभाव, पर्दे की प्रथा, पुनरावृत्ति में असमर्थता, गवैये सदा गाने को तैयार नहीं, संकुचित मनोवृत्ति आदि सामने आती हैं। किसी प्रकार इतने कष्ट को सहकर और असंभव कार्य को संग्रह करके जब संग्रहकर्ता पाण्डुलिपि तैयार कर लेता है, तो उसके प्रकाशन की समस्या सामने

आती है। सरकारों ने यद्यपि कुछ न कुछ व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन उसमें भी निष्पक्ष ढंग से निर्णय नहीं लिया जा पाता और पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया जाता है।

संग्रह-कार्य के लिए ध्यान देने योग्य बातें

इस साहसपूर्ण कार्य के लिए संग्राहक को कुशल, सद्स्वभाव युक्त, दक्ष और प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी संग्रहकर्ता वैज्ञानिक रीति से कार्य सम्पन्न करने में सफल हो सकता है। इस सम्बन्ध में डॉ० सत्येन्द्र ने निम्नांकित बातें कही हैं-

१. क्षेत्री अभ्यास के लिए एक व्यक्ति के स्थान पर एक टोली होना उचित रहती है, जिसमें लोकवार्ता के विभिन्न अंगों की सामग्री एकत्र करने वाले पृथक्-पृथक् संग्राहक हों।साथ में; टेपरिकार्डर और फोटोग्राफी कैमरा भी होना चाहिए।

२. यह टोली उस क्षेत्र के भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति के हर भाग और विशेषता से पूर्णरूपेण परिचित हो। निर्देश-पुस्तिका, प्रश्नावली की तैयारी, टेपरिकार्डर से लिपिबद्ध करने का अभ्यास, लोकवाता की विभिन्न प्रकार की सामग्री के वर्गीकरण का ज्ञान, चित्रकला, फोटोग्राफी आदि बातों का पूर्ण ज्ञान भी आवश्यक है। उस क्षेत्र की भाषा का ज्ञान तो परम आवश्यक है ही।

३. लोकवार्ता, नृत्य-विज्ञान, पुरातत्व, लोकसाहित्य और उसकी विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित सामग्री का पृथक्- पृथक् संग्रह करना।

४. सर्वेक्षण के सम्पर्क में सहायक व्यक्तियों, सामग्री देने वाले पात्रों, स्त्रियों के आभूषणों, प्रेत-पूजा, विश्वास, लोकमित्र, लोक-अनुष्ठान, लोक-दस्तकारी आदि से सम्बद्ध जानकारी का विवरण तैयार करना चाहिए।

५. लोकवार्ता विषय-सामग्री का संग्रह-संकलन करने वाले के लिए आवश्यक योग्यताओं में सामान्य और विशेष- दो वर्ग बताये गये हैं। सामान्य योग्यता के वर्ग में लोक साहित्य में रूचि होना आवश्यक है।